इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 सितम्बर 2015—भाद्र 13, शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2015

क्र. ई-5-874-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती प्रीति मैथिल आयएएस., अपर कलेक्टर, जिला नीमच को दिनांक 27 जुलाई से 14 अगस्त 2015 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही दिनांक 26 जुलाई एवं 15, 16 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रीति मैथिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर कलेक्टर, जिला नीमच के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती प्रीति मैथिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रीति मैथिल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-888-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत डिण्डोरी को दिनांक 6 से 14 अगस्त 2015 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 एवं 16 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री कर्मवीर शर्मा, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत डिण्डोरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री कर्मवीर शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कर्मवीर शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त, 2015

क्र. ई-5-501-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. आर. नायडू आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 24 अगस्त से 11 सितम्बर 2015 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री बी. आर. नायडू की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अशोक कुमार शाह, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से, आगाामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री बी. आर. नायडू द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार शाह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-570-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 30 से 31 जुलाई 2015 तक दो दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2015

क्र. ई-5-829-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नागरगोजे मदन विभीषण, आयएएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 16 से 29 जुलाई 2015 तक चौदह दिन एवं दिनांक 31 जुलाई से 7 अगस्त 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागरगोजे मदन विभीषण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-857-आयएएस-लीव-5-एक.—सुश्री आइरिन सिंथिया जे. पी. आयएएस., कलेक्टर, जिला बुरहानपुर को समसंख्यक आदेश दिनांक 6 जुलाई 2015 द्वारा दिनांक 6 से 17 जुलाई 2015 तक बारह दिन का लघुकृत अवकाश, दिनांक 5 तथा 18, 19 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 6 से 25 जुलाई 2015 तक बीस दिन का पुनरीक्षित लघुकृत अवकाश, दिनांक 5 एवं 26 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

क्र. ई-5-477-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 13 से 30 जुलाई 2015 तक अठराह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राधेश्याम जुलानिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राधेश्याम जुलानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधेश्याम जुलानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-634-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. मनोहर अगनानी, आयएएस., आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश को दिनांक 3 से 28 अगस्त 2015 तक छब्बीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 29, 30 अगस्त 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. मनोहर अगनानी की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्रीमती नीलम शमी राव, आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. मनोहर अगनानी द्वारा आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती नीलम शमी राव उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-536-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. एम. मोहनराव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग तथा विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह संचालक, विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण एवं विकअ-सह-आयुक्त-, सामाजिक न्याय एवं विकअ-सह-संचालक विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण को दिनांक 10 से 14 अगस्त 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 एवं 15, 16 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. एम. मोहनराव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अशोक कुमार शाह, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. एम. मोहनराव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग तथा विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण एवं विकअ-सह-आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं विकअ-सह-संचालक विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. एम. मोहनराव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग तथा विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक, विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण एवं विकअ-सह-आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं विकअ-सह-संचालक विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार शाह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. एम. मोहनराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. मोहनराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-410-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राकेश अग्रवाल, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा जनशिकायत निवारण विभाग को दिनांक 13 से 17 जुलाई 2015 तक पांच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 जुलाई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जनशिकायत निवारण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राकेश अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2015

क्र. ई-5-523-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शिखा दुबे, आयएएस., संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल को दिनांक 6 जुलाई से 28 अगस्त 2015 तक चौवन दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश, दिनांक 5 जुलाई एवं 29, 30 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिखा दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शिखा दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिखा दुबे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-1-298-2015-5-एक.—डॉ. अशोक कुमार भार्गव, भाप्रसे (2002), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग पदस्थ करते हुए, उन्हें प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) श्री ओ. पी. श्रीवास्तव, राप्रसे, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश, तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त, 2015

क्र. ई-5-690-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 24 से 28 अगस्त 2015 तक पांच दिन को अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 एवं 29, 30 अगस्त 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिरूद्ध मुकर्जी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनिरूद्ध मुकर्जी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिरुद्ध मुकर्जी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-13-07-2015-5-एक.—राज्य शासन निम्नलिखित भा.प्र.से. अधिकारियों को एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रेनिंग इंन्स्टीट्यूट, मैसूर में दिनांक 17 अगस्त 2015 से दिनांक 25 सितम्बर 2015 तक, आयोजित 117 इन्डक्शन कोर्स (प्रवेश प्रशिक्षण) में भाग लेने की प्रदान की गई अनुमति के अनुक्रम में प्रशिक्षण हेतु नामांकित अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि में उनके पद का प्रभार उनके नाम के समक्ष दर्शाये अधिकारियों को अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है:—

क्र.	प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	प्रभार जिन्हें सौंपा जाना हैं
(1)	(2)	(3)
1.	श्री शिवनारायण रूपला (2000), कलेक्टर, जिला जबलपुर.	श्री धनराजू एस. (भा.प्र.से. 2009), अपर कलेक्टर, जबलपुर.
2.	श्री नीरज दुबे (2000), कलेक्टर, जिला खरगौन.	श्री पतिराम कतरौलिया, (रा.प्र.से. 85), अपर कलेक्टर, खरगौन.
3.	श्री जनक कुमार जैन (2002), कलेक्टर, जिला रायसेन.	श्री अनुराग चौधरी, (भा.प्र.से. 2010), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायसेन.
4.	श्री मसूद अख्तर (2002), कलेक्टर, जिला छतरपुर.	श्री सतेन्द्र सिंह (रा.प्र.से. 93), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छतरपुर.
5.	श्री आनंद कुमार शर्मा (2002), कलेक्टर, जिला राजगढ़	श्री भगत सिंह कुलेश (रा.प्र.से. 88), अपर कलेक्टर, राजगढ़.
6.	श्री शिवनारायण सिंह चौहान (2003) कलेक्टर, जिला पन्ना.	श्री अनिल खरे (रा.प्र.से. 94), अपर कलेक्टर, पन्ना.
7.	श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे (2004) कलेक्टर, जिला दतिया.	श्री भास्कर लक्ष्यकार (भा.प्र.से. 2010), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, दतिया.

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त, 2015

क्र. ई-5-858-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विकास नरवाल, आयएएस., कलेक्टर, जिला कटनी को दिनांक 17 से 22 अगस्त 2015 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16 एवं 23 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री विकास नरवाल की अवकाश अवधि में श्री अमरपाल सिंह, अपर कलेक्टर कटनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला कटनी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विकास नरवाल द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमरपाल सिंह, कलेक्टर, जिला कटनी के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त, 2015

क्र. ई-5-593-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक वर्णवाल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जुलाई 2015 द्वारा दिनांक 21 से 24 जुलाई 2015 तक चार दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 21 जुलाई से 1 अगस्त 2015 तक बारह दिन का पुनरीक्षित लघुकृत अवकाश, दिनांक 2 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) आदेश दिनांक 24 जुलाई 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त, 2015

क्र. ई-5-814-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उर्मिल मिश्रा, आयएएस., आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल को दिनांक 6 से 10 जुलाई 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती उर्मिल मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उर्मिल मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-865-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री व्ही. किरण गोपाल, आयएएस., कलेक्टर, जिला बालाघाट को दिनांक 21 से 28 अगस्त 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा अवकाश के साथ दिनांक 29 एवं 30 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री व्ही. किरण गोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री बी. विजय दत्ता, भाप्रसे, अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. किरण गोपाल को अस्थायी रूप से, आगाामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री व्ही. किरण गोपाल द्वारा कलेक्टर, जिला बालाघाट का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. विजय दत्ता उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री व्ही. किरण गोपाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. किरण गोपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-724-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सुखवीर सिंह, आयएएस., प्रबंध संचालक, म. प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 1 से 11 सितम्बर 2015 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 13 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश जो जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुखवीर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सुखवीर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुखवीर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ॲन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त, 2015

क्र. ई-5-650-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक सेवा प्रबंधन, विभाग सचिव, मुख्यमंत्री को समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जुलाई 2015 द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2015 से 1 अगस्त 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 28 से 31 जुलाई 2015 तक, चार दिन का पुनरीक्षित/संशोधित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) आदेश दिनांक 24 जुलाई 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त, 2015

क्र. ई-1-166-2014-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 69(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2014 द्वारा भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 7 में आवश्यक संशोधन करते हुए, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिए निम्नानुसार सिविल सेवा बोर्ड के गठन हेतु प्रावधानित किया गया है:—

(i) मुख्य सचिव,	अध्यक्ष
(ii) वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या समकक्ष पद या स्तर का कोई अधिकारी.	सदस्य
(iii) राज्य सरकार के कार्मिक विभाग में प्रमुख सचिव या सचिव.	सदस्य-सचिव
(iv) प्रधान सचिव या सचिव, वन	सदस्य
(v) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक	सदस्य.

2. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मई, 2014 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड में अब वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरूणा शर्मा, भाप्रसे (1982), वि.क.अ.-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सदस्य नामांकित करता है.

3. उपरोक्तानुसार गठित सिविल सेवा बोर्ड के कार्यकरण एवं उसके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2014 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगी.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त, 2015

क्र. ई-5-800-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती (डॉ.) मधु खरे, आयएएस., सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जुलाई 2015 द्वारा दिनांक 22 जून 2015 से 10 जुलाई 2015 तक, उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 जून 2015 एवं 11, 12 जुलाई 2015 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की गयी थी, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 29 जून 2015 से 13 जुलाई 2015 तक, पन्द्रह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जुलाई 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव''कार्मिक''.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2015

क्र. एफ 1(ए)274-86-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री के. एल. मीणा, भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (विशेष अभियान) पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 17 से 22 अगस्त 2015 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 16 एवं 23 अगस्त 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ भारत भ्रमण की यात्रा के तहत् खण्ड वर्ष 2014-17 के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों/शर्तों के साथ केरल जाने की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्री के. एल. मीणा - स्वयं
2. श्रीमती कमला मीणा - पत्नी

(2) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री स्वर्ण सिंह, भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (सामुदायिक पुलिसिंग) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश के लौटने पर श्री के. एल. मीणा, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (विशेष अभियान) पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. एल. मीणा, भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (विशेष अभियान) पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. एल. मीणा, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. एल. मीणा, भा.पु.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए) 243-1993-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 मई 2015 द्वारा श्री वरूण कपूर, भापुसे, निदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इंदौर को स्वीकृत अर्जित अवकाश में वृद्धि करते हुए दिनांक 5 से 8 जुलाई 15 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश, स्वीकृत किया जाता है. साथ ही शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. एफ 1(ए)253-88-ब-2-दो.—राज्य शासन डॉ. आर. के. गर्ग, भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (पी. टी. आर. आई.) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अति आवश्यक कार्य से (पंजाब) जाने हेतु दिनांक 8 से 9 अक्टूबर 2015 तक, दो दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 10 एवं 11 अक्टूबर 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ, स्वीकृत किया जाता है.

(2) डॉ. आर. के. गर्ग, भा.पु.से., के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से. पुलिस उप महानिरीक्षक, (पी.टी.आर.आई.) पु. मु., भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश के लौटने पर डॉ. आर. के. गर्ग, भा.पु.से., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (पी. टी. आर. आई.) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. आर. के. गर्ग, भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (पी. टी. आर. आई.) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. आर. के. गर्ग, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. के. गर्ग, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2015

क्र. एफ 1(बी)154-2010-बी-4-दो.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रं. 03-परीक्षा-08, दिनांक 11 अगस्त 8 द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2008 के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक, गृह (पुलिस) विभाग के पदों की पूर्ति हेतु आयोग द्वारा विभाग को प्रेषित अनुशंसा पत्र दिनांक 29 नवम्बर 2010 एवं संशोधित अनुशंसा पत्र दिनांक 1 जनवरी 2011 द्वारा मुख्य सूची के 12 एवं अनुपूरक सूची के 7 आवेदकों की अनुशंसा विभाग को भेजी गई थी. विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जून 12 द्वारा आयोग से अनुरोध किया गया था कि उप पुलिस अधीक्षक पद की मुख्य सूची के आवेदक श्री राकेश मरकाम का राज्य सेवा परीक्षा-2009 के अंतर्गत उप जिलाध्यक्ष के पद पर चयन होने से संबंधित विभाग द्वारा उनके नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं अत: श्री मरकाम के स्थान पर राज्य सेवा परीक्षा-2008 की उप पुलिस अधीक्षक की अनुपूरक सूची के स. क्रं.-01 पर अंकित आवेदिका कु. पल्लवी शुक्ला को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही हेतु अनुपूरक सूची की वैधता अवधि बढ़ायी जावे. राज्य सेवा परीक्षा 2008 से संबंधित मुख्य सूची की वैधता अवधि एवं अनुपूरक सूची की वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात उप पुलिस अधीक्षक का उक्त पद दिनांक 28 जुलाई 12 को रिक्त हुआ हैं. उक्त परिस्थितियों के प्रकाश में आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2008 की उप पुलिस अधीक्षक की अनुपूरक सूची की वैधता अवधि नहीं बड़ायी गई थी.

2. उप पुलिस अधीक्षक के उक्त रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदिका कु. पल्लवी शुक्ला द्वारा मान. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर में डब्ल्यू. पी. 1062/11 दायर की गई थी. इस संबंध में म. प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा मान. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर में डब्ल्यू. ए. 112/15 विरुद्ध कु. पल्लवी शुक्ला एवं अन्य दायर की गई जिसे मान. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर द्वारा स्वीकार करते हुये दिनांक 22 अप्रैल 15 को प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये गये हैं:—

Consuently, the petition is allowed. The respondent No. 3/M. P.Public Service Commission is directed to give appropriate directions to the Home Department for considering the candidature of the present petitioner/ Pallavi Shukla to the post of Dy. S. P. if she is otherwise eligible for the post. Let the entire exercise be completed within a period of two months from the date of this order.

3. मान. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 22 अप्रैल 15 के परिपालन में कु. पल्लवी शुक्ला का नाम राज्य सेवा परीक्षा 2008 के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक की अनुपूरक सूची के स. क्रं.-01 के अनुसार नियुक्ति हेतु म. प्र. लोक सेवा आयोग के पत्र क्रं. 7884-24-10-चयन, दिनांक 25 जून 2015 द्वारा गृह विभाग को अनुशंसित करते हुये समय-सीमा में नियुक्ति की सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण कर नियुक्ति आदेश जारी करने एवं उसकी एक प्रति अभिलेख हेतु आयोग को भेजे जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं.

4. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2008 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये अनुपूरक सूची के स. क्रं.-01 (रोल नं.-120121) पर चयनित कुमारी पल्लवी शुक्ला को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये—15600-39100+5400/- में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पुलिस मुख्यालय, भोपाल में नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है.

5. नवनियुक्त अधिकारी आदेश प्रप्ति के 15 दिवस की अवधि में पदस्थापना स्थल कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

6. नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2000 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

7. नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

8. राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारी को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

9. नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

10. परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

11. नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापित्त प्रमाण-पत्र अजॉच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

12. नवनियुक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

13. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिशिचित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियॉ रोस्टर पंजी में कर दी गई है.

14. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2015

क्र. एफ 1(ए)79-2011-बी-2-दो.—श्री आर. एस. मीना, भा.प्र.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एन्टी नक्सलाईट ऑपरेशन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के अस्वस्थ्ता के कारण दिनांक 26 जून से 5 जुलाई 2015 तक, कुल दस दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 20 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आर. एस.मीना, भा.पु.से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर.एस. मीना, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2015

क्र. एफ 1(बी)154-2010-बी-4-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अगस्त 2015 द्वारा जारी पृष्ठांकन क्रं. 11 में त्रुटिवश अंकित "कुमारी पल्लवी शुक्ला पिता श्री योगेन्द्र कुमार शुक्ला, 22, टीचर कालोनी, महू, जिला इंदौर की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां एवं पूर्व नियोक्ता का अनापित्तयां प्रमाण-पत्र, अजांच एवं अमांग पत्र सहित अपनी उपस्थिति उप पुलिस अधीक्षक, महिला अपराध प्रकोष्ठ, सागर से संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराकर कार्यभार ग्रहण करे" के स्थान पर कुमारी पल्लवी शुक्ला पिता श्री योगेन्द्र कुमार शुक्ला, 22, टीचर कालोनी, महू, जिला इंदौर की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां एवं पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजांच एवं अमांग-पत्र सहित अपनी उपस्थिति पुलिस महानिदेशक, म. प्र., भोपाल के कार्यालय में दर्ज कराकर कार्यभार ग्रहण करें पढ़ा जाये.

2. समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अगस्त 2015 की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2015

फा. क्र. 17(ई)44-2013-इक्कीस-ब(एक)-2267-15.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1)3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 29-क, 31, 37, 38, 40, 43, 49 एवं 50 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
"1.	बालाघाट	श्री डी. के. त्रिपाठी, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट
5.	भोपाल	श्री शशिभूषण पाठक, दशम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल
8.	दमोह	श्री तारकेश्वर सिंह, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दमोह.
12.	खण्डवा (पूर्व निमाड़)	श्री अवनिंद्र कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पू.नि.खंडवा
13.	गुना	श्री मोहम्मद शमीम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना
14.	ग्वालियर	श्री प्रदीप सोनी, दशम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर
15.	हरदा	श्री प्रताप कुमार तिवारी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, हरदा.
29-क्र.	(जावरा) रतलाम	श्रीमती माया विश्वलाल, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा, रतलाम
31.	सागर	श्री योगेश कुमार गुप्ता, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,-सागर.
37.	श्योपुर	श्री ठाकुर दास, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर
38.	शिवपुरी	श्री श्रीराम दिनकर, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शिवपुरी.
40.	सिंगरौली बैढ़न	श्री उमेश चन्द्र मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिंगरौली
43.	विदिशा	श्री एस. एस. कालगांवकर, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, विदिशा.
49.	डिण्डोरी	श्री एच. एस. वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डोरी
50.	उमरिया	श्री तरुण राकेश स्टेनली, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, उमरिया."

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको 19 इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 17(E)-44-2013-XXI-B(One) 2267-2015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government In consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification F-No.

B(1)3476-2013, dated 11th September 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial number 1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 29-A, 31, 37, 38, 40, 43, 49 and 50 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of District	Name and Designation of the Judge
(1)	(2)	(3)
"1.	Balaghat	Shri D. K. Tripathi, Ist Additional Sessions Judge, Balaghat
5.	Bhopal	Shri Shashi Bhushan Pathak, Xth Additional Sessions Judge, Bhopal
8.	Damoh	Shri Tarkeshwar Singh, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (POA) Act, Damoh.
12.	E. N. Khandwa	Shri Avnindra Kumar Singh, IInd Additional Sessions Judge, E. N. Khandwa.
13.	Guna	Shri Mohd. Shamim, Additional Sessions Judge, Guna.
14.	Gwalior	Shri Pradeep Soni, Xth Additional Sessions Judge, Gwalior
15.	Harda	Shri Pratap Kumar Tiwari, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (POA) Act, Harda.
29-A.	(Jaora)Ratlam	Smt. Maya Vishwalal, Additional Sessions Judge, Jaora, Ratlam.
31.	Sagar	Shri Yogesh Kumar Gupta, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (POA) Act, Sagar.
37.	Sheopur	Shri Thakur Das, IInd Additional Sessions Judge, Sheopur.
38.	Shivpuri	Shri Shriram Dinkar, Special Judge, Scheduled Castes and Schdeduled Tribes (POA) Act, Shivpuri.
40.	Singrauli Waidhan	Shri Umesh Chandra Mishra, I Additional Sessions Judge, Singrauli
43.	Vidisha	Shri S. S. Kalgaonkar, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (POA) Act, Vidisha.
49.	Dindori	Shri H. S. Vaishya, District & Sessions Judge, Dindori.
50.	Umaria	Shri Tarun Rakesh Stendli, Ist Additional Sessions Judge, Umaria".

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक)-1970-2015.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 92 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

स. क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"92.	शहडोल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यौहारी	श्री सी. पी. वर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यौहारी.

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(One)-1970-2015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 24th September, 2010, namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the table, for serial number 92 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
" 92.	Shahdol	Additional Sessions Judge, Beohari	Shri C. P. Verma, Additional Sessions Judge, Beohari."

फा. क्र. 17(ई)8-2012-1969-इक्कीस-ब(एक).—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 मार्च, 2012 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 2 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 3 और 7 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं :—

अनुसूची

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3(1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम	मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	श्री ओमकार नाथ, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर	विशेष न्यायालय क्रमांक 1, जबलपुर	जबलपुर
7.	श्री कमल जोशी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इंदौर	विशेष न्यायालय क्रमांक 1, इंदौर	इंदौर."

F. No. 17(E)8-2012-1969-XXI-B(One).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Adhiniyam, 2011, (No. 8 of 2012) read with sub section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. F. No. 17(E) 8-2012-XXI-B (One), dated 2nd March, 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-Ordinary) dated 2nd March, 2012 :—

AMENDMENT

In the said Notification, for serial numbers 3 and 7 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted :—

SCHEDULE

S. No.	Name of Judge	Name of Special court constituted u/s 3(1) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Adhiniyam, 2011	Head quarter
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	Shri Omkar Nath, IInd Additional Sessions Judge, Jabalpur	Special Court No.1, Jabalpur	Jabalpur
7.	Shri Kamal Joshi, IInd Additional Sessions Judge, Indore	Special Court No. 1, Indore	Indore."

फा. क्र. 17(ई)8-2012-1969--इक्कीस-ब(एक).—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 मार्च, 2012 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 2 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 3 और 7 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं :—

सारणी

अनुक्रमांक	प्राधिकृत अधिकारी का नाम	मुख्यालय का नाम	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	श्री ओमकार नाथ, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर	जबलपुर	राजस्व जिला सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सतना, उमरिया, डिण्डोरी, शहडोल तथा अनूपपुर का समाविष्ट क्षेत्र.
7.	श्री कमल जोशी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इंदौर	इंदौर	राजस्व जिला देवास, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच और धार का समाविष्ट क्षेत्र."

F. No. 17(E)8-2012-1969-XXI-B(One).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Niyam, 2012, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. F. No. 17(E)8-2012-XXI-B(One), dated 2nd March, 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-Ordinary) dated 2nd March, 2012:—

AMENDMENT

In the said notification, for serial numbers 3 and 7 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Authorized Officer	Place of head quarter	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	Shri Omkar Nath, IInd Additional Sessions Judge, Jabalpur	Jabalpur	Area comprising Revenue Districts Sagar, Damoh, Panna, Chhatarpur, Tikamgarh, Satna, Umaria, Dindori, Shahdol & Anuppur.
7.	Shri Kamal Joshi, IInd Additional Sessions Judge, Indore.	Indore	Area comprising Revenue Districts Dewas, Ratlam, Shajapur, Ujjain, Mandsaur, Neemuch and Dhar."

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2015

फा. क्र. 1 (बी) 03-2015-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर में निम्न विधि अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लोक अभियोजक की शक्तियां प्रदान करता है :—

महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री अरविन्द दुधावत	अतिरिक्त महाधिवक्ता
2	श्री विशाल मिश्रा	उप महाधिवक्ता
3	श्री प्रबल प्रताप सिंह	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
4	श्री राजेन्द्र सिंह यादव	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
5	श्री भानू प्रताप सिंह	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
6	श्री कमल जैन	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
7	श्री प्रवीण निवस्कर	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
8	श्रीमती संगीता पचौरी	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
9	श्री आर.बी.एस. तोमर	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
10	श्री समीर जैन	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
11	डॉ. अंजली ज्ञानानी	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता
12	श्री आर. पी. गुप्ता	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता
13	श्री अमित बंसल	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता

फा. क्र. 1 (बी) 03-2015-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, महाधिवक्ता कार्यालय इन्दौर में निम्न विधि अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लोक अभियोजक की शक्तियां प्रदान करता है :—

महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री सुनील जैन	अतिरिक्त महाधिवक्ता
2	श्री पुष्यमित्र भार्गव	उप महाधिवक्ता
3	श्री दीपक रावेल	उप महाधिवक्ता
4	सुश्री मिनी रविन्द्रन	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
5	श्री मिलिन्द कुमार खडके	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
6	श्री योगेश मित्तल	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
7	श्री रोहित कुमार मंगल	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
8	श्री भुवन देशमुख	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
9	श्री मुकेश परवाल	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता
10	श्री अंकित अभय नायक	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.
11	श्री पियूष जैन	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.
12	पृथा मोइत्रा	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.
13	श्री रोमेश दबे	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.
14	श्रीमती ममता शांडिल्य	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.
15	श्री अमित सिसौदिया	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2015

फा. क्र. 3 (ई) 102-80-इक्कीस-ब(एक).—श्री जी. एस. अहलूवालिया, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरिज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम एडीटर के पद पर नियुक्त किए जाने संबंधी जारी समसंख्यक विभागीय आदेश दिनांक 28 मई 2015 को दिनांक 21 दिसम्बर 2014 से प्रभावशील माना जावेगा.

फा. क्र. 21-इक्कीस-ब(दो)-एजी-2015.—राज्य शासन, श्री राजेश कुमार शुक्ला, अधिवक्ता ग्वालियर द्वारा उप शासकीय अधिवक्ता/उप विधि अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने एवं दिनांक 15 जून 2015 को उक्त पद से प्रस्तुत त्याग-पत्र एतद्द्वारा स्वीकृत करता है.

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक) 2424-2015.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीशों को सारणी के कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट अपराधों का एवं उन अपराधों के विचारण हेतु जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन किया गया हो एवं जो विनिर्दिष्ट रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर अथवा संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौंपे गये हों, विशेष न्यायाधीश नियुक्त करता है.

यह अधिसूचना व्यापम मामलों के संबंध में एतद् पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अतिरिक्त जारी की जा रही है:—

सारणी

अनु-क्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री रामकुमार चौबे, नवम अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल.	भोपाल
2	श्री सुनील कुमार जैन (सीनि.), नवम् अपर सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.	जबलपुर
3	श्री दिलीप कुमार मित्तल, अपर सेशन न्यायाधीश, इंदौर.	इंदौर
4	श्री सतीश चंद्र शर्मा (जूनि.) चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.	ग्वालियर
5	श्री अरूण कुमार सिंह, षष्टम् अपर सेशन न्यायाधीश, रीवा.	रीवा
6	श्री प्रकाश चंद्रा, तृतीय अपर सेशन, न्यायाधीश, खण्डवा.	खण्डवा
7	श्री राकेश मोहन प्रधान, चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, मुरैना.	मुरैना
8	श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, दमोह.	दमोह
9	श्री राम गोपाल सिंह, तृतीय सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.	छतरपुर
10	श्री पी. सी. गुप्ता, चतुर्थ अपर सेशन न्यायाधीश, गुना.	गुना
11	श्री अजित सिंह, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, सागर.	सागर
12	श्री बी. एस. भदौरिया, सोलहवें अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल.	भोपाल
13	श्री अरूण कुमार वर्मा, षष्टम् अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल.	भोपाल
14	श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, अष्ठम् अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल.	भोपाल
15	श्री दिनेश प्रसाद मिश्रा, पंद्रहवें अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल.	भोपाल
16	श्री धरमिन्दर सिंह, षष्टम् अपर सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.	ग्वालियर
17	श्री ललित किशोर, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.	ग्वालियर
18	श्री अनिल कुमार सोहाने, ग्यारहवें अपर सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.	ग्वालियर
19	श्री दीपक कुमार अग्रवाल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, ग्वालियर.	भिण्ड
20	सत्र न्यायाधीश, बालाघाट	बालाघाट

F. No. 1-5-96-XXI-B(one)-2424-2015.—In exercise of the powers conferrred by Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Additional Sessions Judges specified in column (2), of the Table below to be Special Judges for respective area specified in the corresponding entry in column (3) thereof to try the cases relating to the offences specified under section 3 of Prevention of corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and those investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) by the Dehli Police and Central Bureau of Investigation and which are specifically assigned to them by the High Court of Madhya Pradesh or by the District and Sessions Judge of the Concerned District, as the case may be:—

This notification is issued in addition to the earlier notifications issued in respect of VYAPAM matters.

TABLE

S.No.	Name of Judge	Head Quarter
(1)	(2)	(3)
1	Shri Ramkumar Choubey, IXth Additional Sessions Judge, Bhopal.	Bhopal
2	Shri Sunil Kumar Jain (Sr.), IXth Additional Sessions Judge, Jabalpur.	Jabalpur
3	Shri Dilip Kumar Mittal, Additional Sessions Judge, Indore.	Indore
4	Shri Satish Chandra Sharma (Jr.) IVth Additional Sessions Judge, Gwalior.	Gwalior
5	Shri Arun Kumar Singh, VIth Additional Sessions Judge, Rewa.	Rewa
6	Shri Prakash Chandra, IIIrd Additional Sessions Judge, Khandwa.	Khandwa
7	Shri Rakesh Mohan Pradhan, IVth Additional Sessions Judge, Morena.	Morena
8	Shri Devendra Deo Dwivedi, IInd Additional Sessions Judge, Damoh.	Damoh
9	Shri Ram Gopal Singh, IIIrd Additional Judge, Chhatarpur.	Chhatarpur
10	Shri P. C. Gupta, IVth, Additional Sessions Judge, Guna.	Guna
11	Shri Ajit Singh, IInd Additional Sessions Judge, Sagar.	Sagar
12	Shri B. S. Bhadoriya, XVIth Additional Sessions Judge, Bhopal.	Bhopal

(1)	(2)	(3)
13	Shri Arun Kumar Verma, VIth Additional Sessions Judge, Bhopal.	Bhopal
14	Shri Bhupendra Kumar Singh, VIII[th] Additional Sessions Judge, Bhopal.	Bhopal
15	Shri Dinesh Prasad Mishra, XV[th] Additional Sessions Judge, Bhopal.	Bhopal
16	Shri Dharminder Singh, VIth Additional Sessions Judge, Gwalior.	Gwalior
17	Shri Lalit Kishore, II[nd] Additional Sessions Judge, Gwalior.	Gwalior
18	Shri Anil Kumar Sohane, XI[th] Additional Sessions Judge, Gwalior.	Gwalior
19	Shri Deepak Kumar Agrawal, Spl. Judge Schedule Castes/Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Bhind.	Bhind
20	Sessions Judge, Balaghat	Balaghat

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2015

क्र. एफ 13-19-2015-बीस-1.—अपर संचालक, लोक शिक्षण से संचालक, लोक शिक्षण के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 31 जुलाई 2015 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसानुसार, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री ए. के. दीक्षित, अपर संचालक, लोक शिक्षण को संचालक, संवर्ग वेतनमान 37400-67000+ग्रेड पे 8900 में पदोन्नति प्रदान करता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि पदोन्नति में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनु. जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण) अधिनियम, 1994 व मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों का पालन किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. तनवानी, अवर सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2015

क्र. 1770-2015-बी-ग्यारह.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन संजय गांधी ताप विद्युत गृह, विरसिंहपुर के वाष्प यंत्र क्रमांक एमपी-4470 एवं एमपी-4514 के स्टीमिंग लायसेंस की वैद्यता अवधि बढ़ाये जाने को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी-4470 के प्रमाण-पत्र की वैद्यता अवधि में दिनांक 30 जुलाई 2015 से 29 अक्टूबर 2015 तक 03 माह की वृद्धि एवं वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी-4514 के प्रमाण-पत्र के वैद्यता अवधि में दिनांक 30 अगस्त 2015 से 29 अगस्त 2016 तक एक वर्ष की छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा-18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा-02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम-6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2015

क्र. 140-2015-ए-सोलह.—कारखाना अधिनियम, 1948 (क्रमांक 63 सन् 1948) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा डॉ. सुभाष बारोड़, सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (मेडिकल) मध्यप्रदेश, इंदौर जब तक कि वे इस पद पर कार्यरत हैं, को उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत सभी कारखानों के लिए जो मध्यप्रदेश में स्थित हैं, प्रमाणक शल्यज्ञ नियुक्त करता है.

No. 1450-2015-A-XVI.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 10 of the Factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948), the State Government, is pleased to appoint Dr. Subhash Barod, Assistant Director, Industrial Health & Safety (Medical) to be certifying surgeon for the purposes of the said Act in respect of all factories situated in Madhya Pradesh, till he works on the said post.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वार्ष्णेय, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2015

क्र. एफ-3-94-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा रामपुर बाघेलान निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात:—

(1) आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा, म. प्र.
(2) कलेक्टर, जिला सतना, म. प्र.
(3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, रामपुर बाघेलान, म. प्र.
(4) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, सतना, म.प्र.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुदगल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2015

क्र. एफ-3-94-2012-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-94-2012-बत्तीस, दिनांक 26 अगस्त 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुदगल, उपसचिव.

NOTICE

Bhopal, the 26th August 2015

No. F-3-94-2012-XXXII—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Rampur Baghelan, 2021 (Planning Aera) under sub-Section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:—

(1) Commisioner, Rewa Division, Rawa, M. P.
(2) Collector, Division, Stana, M. P.
(3) Chief, Municipal Officer, Municipal Council Rampur Baghelan, M. P.
(4) Deputy Director, Town & country Planning Distt. office Satna, M. P.

2. The Said development plan shall come into operation with effect from publication of this notice in M. P. Gazettee under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. K. MUDGAL.Dy. Secy.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2015

क्र. एफ-25-13-2009-दस-3.—मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 25-13-2009-दस-3, दिनांक 27 अक्टूबर, 2009 में आंशिक संशोधन करते हुये सामान्य वनमण्डल सिंगरौली का नवीन परिवर्तित मुख्यालय बैढ़न किया जाता है. यह परिवर्तन अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशान्त कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2015

क्र. एफ-25-13-2009-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-13-2009-दस-3, दिनांक 28 अगस्त 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशान्त कुमार, सचिव.

Bhopal, the 28th August 2015

No. F-25-13-2009-X-3.—By partially amending the notification No. F-25-13-2009-X-3 dated 27th October 2009 of Madhya Pradesh Government Forest Department the head quarter of Singrauli (Territorial) Forest Division is hereby changed to Baidhan with effect from the date of issue of this notification.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PRASANT KUMAR, Secretary.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 मई 2015

क्र. 3(ए)-02-2006-इक्कीस-ब(एक)-998.—उपरोक्त विषयक कृपया रजिस्ट्री के ज्ञापन क्रमांक डी-1594-चार-9-19-49 भाग-9, दिनांक 25 मार्च 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें.

राज्य शासन वर्ष 2016 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका 5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है:—

क्र.	न्यायिक अधिकारी	जन्मतिथि	अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने की अवधि	सेवानिवृत्ति दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री वेद प्रकाश शर्मा, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, जबलपुर.	02-01-1956	01-01-2016	31-01-2016
2.	श्री अखिलेश पण्डया, अध्यक्ष, उपभोक्ता फोरम, भोपाल.	09-01-1956	08-01-2016	31-01-2016
3.	श्री भैयालाल वर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिरौंज.	10-01-1956	09-01-2016	31-01-2016
4.	श्री विनोद भारद्वाज, अति. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल.	01-02-1956	31-01-2016	31-01-2016
5.	श्री रामायण प्रताप सिंह चौहान, अध्यक्ष, उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद.	01-03-1956	29-02-2016	29-02-2016
6.	श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, जिला न्यायाधीश, जबलपुर.	17-03-1956	16-03-2016	31-03-2016
7.	श्री अविनाश कुमार खरे, अपर जिला न्यायाधीश, मउ.	27-03-1956	26-03-2016	31-03-2016
8.	श्री अनुराग कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट.	11-04-1956	10-04-2016	30-04-2016
9.	श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव, (जूनि.) प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, धार.	23-04-1956	22-04-2016	30-04-2016
10.	श्री मोहम्मद युसूफ अंसारी, पीठासीन अधिकारी वक्फ ट्रिब्यूनल, भोपाल.	24-04-1956	23-04-2016	30-04-2016
11.	श्री जगदीश बाहेती, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली.	01-05-1956	30-04-2016	30-04-2016
12.	श्री देवनारायण पाटील, अपर जिला न्यायाधीश, भोपाल.	05-05-1956	04-05-2016	31-05-2016
13.	श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश, उज्जैन.	01-06-1956	31-05-2016	31-05-2016
14.	श्री चन्द्रप्रकाश वर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया.	01-06-1956	31-05-2016	31-05-2016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	श्री प्रहलाद सिंह पाटीदार, जिला न्यायाधीश, शाजापुर.	05-06-1956	04-06-2016	30-06-2016
16.	श्री रणजीत सिंह ठाकुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा.	18-06-1956	17-06-2016	30-06-2016
17.	श्री आनंद मोहन खरे, जिला न्यायाधीश, बुरहानपुर.	30-06-1956	29-06-2016	30-06-2016
18.	श्री होसला प्रसाद सिंह, जिला न्यायाधीश, सागर.	01-07-1956	30-06-2016	30-06-2016
19.	श्री भागचन्द मलैया, विशेष न्यायाधीश, रतलाम.	01-07-1956	30-06-2016	30-06-2016
20.	श्री मोहम्मद शमीम, जिला न्यायाधीश, गुना.	13-07-1956	12-07-2016	31-07-2016
21.	श्री भारत सिंह जामरा, अपर जिला न्यायाधीश, इंदौर.	01-08-1956	31-07-2016	31-07-2016
22.	श्री जयराम सिंह कटारिया, विशेष न्यायाधीश, टीकमगढ़.	14-08-1956	13-08-2016	31-08-2016
23.	श्रीमती नरविंदर विर कौर कांदरा, जिला न्यायाधीश, इन्दौर.	21-08-1956	20-08-2016	31-08-2016
24.	श्रीमती कनक लता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल.	26-08-1956	25-08-2016	31-08-2016
25.	श्रीमती दुर्गा डावर, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन.	01-10-1956	30-09-2016	30-09-2016
26.	श्री शिशिर कांत चौबे, विशेष न्यायाधीश, श्योपुर.	01-10-1956	30-09-2016	30-09-2016
27.	श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल.	21-10-1956	20-10-2016	31-10-2016
28.	श्री अब्दुल जब्बार खान, प्रिसिंपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर.	06-11-1956	05-11-2016	30-11-2016
29.	कुमारी भारती बघेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर.	10-11-1956	09-11-2016	30-11-2016
30.	श्री अशोक कुमार जोशी, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर.	11-11-1956	10-11-2016	30-11-2016
31.	श्री राजीव शर्मा, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर.	20-11-1956	19-11-2016	30-11-2016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32.	श्री सुरेश रणदिवे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सारंगपुर.	21-11-1956	20-11-2016	30-11-2016
33.	श्री शशिभूषण पाठक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नसरूल्लागंज.	10-12-1956	09-12-2016	31-12-2016
34.	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला न्यायाधीश, सतना.	19-12-1956	18-12-2016	31-12-2016

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2015

फा. क्र. I-1-2002-इक्कीस-ब(एक)-2496.—कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब न्यायालयों का गठन करता है, जिनका मुख्यालय कॉलम (3) में वर्णित है तथा जिनकी अधिकारिता उसके (सारणी के) कॉलम (4) में वर्णित है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	कुटुम्ब न्यायालय का नाम (2)	मुख्यालय (3)	क्षेत्र जिसकी अधिकारिता तक विस्तार होगा (4)
1	कुटुम्ब न्यायालय, अलीराजपुर	अलीराजपुर	(एक) केन्टोमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगर पालिका अलीराजपुर की सीमाएं. (दो) जिला मुख्यालय की तहसील (तहसील अलीराजपुर) की सीमाएं, तथा (तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसीलों की स्थानीय सीमाएं, जिनसे संबंधित कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों के सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं], विचारण वर्तमान में जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों में किया जा रहा हो.
2	कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ	झाबुआ	(एक) केन्टोमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका झाबुआ की सीमाएं. (दो) जिला मुख्यालय की तहसील (तहसील झाबुआ) की सीमाएं, तथा (तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसीलों की स्थानीय सीमाएं जिनसे संबंधित कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों के सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् [जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं.], विचारण वर्तमान में जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों में किया जा रहा हो.

(1)	(2)	(3)	(4)
3	कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना	पन्ना	(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगर पालिका पन्ना की सीमाएं. (दो) जिला मुख्यालय की तहसील (तहसील पन्ना) की सीमाएं तथा (तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसीलों की स्थानीय सीमाएं, जिनसे संबंधित कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों के सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् (जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं), विचारण वर्तमान में जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों में किया जा रहा हो.
4	कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर	शाजापुर	(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगर पालिका शाजापुर की सीमाएं. (दो) जिला मुख्यालय की तहसील (तहसील शाजापुर) की सीमाएं तथा (तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसीलों की स्थानीय सीमाएं, जिनसे संबंधित कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों के सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् (जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं), विचारण वर्तमान में जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों में किया जा रहा हो.
5	कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर	श्योपुर	(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगर पालिका श्योपुर की सीमाएं. (दो) जिला मुख्यालय की तहसील (तहसील श्योपुर) की सीमाएं तथा (तीन) जिले की ऐसी समस्त तहसीलों की स्थानीय सीमाएं, जिनसे संबंधित कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 7 के अधीन आने वाले वैवाहिक विवादों के सिविल प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों की बाबत् (जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन आने वाली कार्यवाहियां सम्मिलित हैं), विचारण वर्तमान में जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों में किया जा रहा हो.

F. No. 1-2002-XXI-B(1)-2496.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, after consultation with the High Court, hereby, constitutes the Family Courts specified in Column (2) of the table below, the headquarter of which is mentioned in column (3) and jurisdiction is mentioned in column (4) thereof, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the family Court	Head quarters	Area to which the jurisdiction shall extend
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Family Court, Alirajpur	Alirajpur	(i) Limits of Municipality, Alirajpur including Cantonment area, if any (ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Alirajpur); and (iii) Local limits of all such tehsils of the district, in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes, covered by Section 7 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal procedure, 1973 (No. 2 of 1974)] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.
2	Family Court, Jhabua	Jhabua	(i) Limits of Municipality, Jhabua including Cantonment area, if any (ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Jhabua); and (iii) Local limits of all such tehsils of the district, in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes, covered by Section 7 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal procedure, 1973 (No. 2 of 1974)] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.
3	Family Court, Panna	Panna	(i) Limits of Municipality, Panna including Cantonment area, if any (ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Panna); and (iii) Local limits of all such tehsils of the district, in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes, covered by Section 7 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal procedure, 1973 (No. 2 of 1974)] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.

(1)	(2)	(3)	(4)
4	Family Court, Shajapur	Shajapur	(i) Limits of Municipality, Shajapur including Cantonment area, if any (ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Shajapur); and (iii) Local limits of all such tehsils of the district, in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes, covered by Section 7 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal procedure, 1973 (No. 2 of 1974)] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.
5	Family Court, Sheopur	Sheopur	(i) Limits of Municipality, Sheopur including Cantonment area, if any (ii) Limits of Tehsil of the District Headquarter (Tehsil Sheopur); and (iii) Local limits of all such tehsils of the district, in respect whereof the suits and proceedings of civil nature relating to matrimonial disputes, covered by Section 7 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) [including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal procedure, 1973 (No. 2 of 1974)] are being presently tried by the courts situated at District Headquarter.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2015

क्र. एफ-3-94-2015-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्द्वारा सिरोंज विकास योजना हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-17 (क) (1) के अन्तर्गत निम्नानुसार गठन किया जाता है. यह समिति मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(2) सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 12 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:—

अधिनियम की धारा 17 क (1) खण्ड	व्यक्ति का नाम/पद	संस्था/पता	समिति के पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद्, सिरोंज	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, विदिशा	सदस्य

(1)		(2)	(3)	(4)
(ग)		सांसद	विदिशा संसदीय क्षेत्र	सदस्य
(घ)		विधायक	विधान सभा क्षेत्र सिरोंज	सदस्य
(ङ)		अध्यक्ष	नगर तथा ग्राम निवेश विकास प्राधिकारी	कोई नहीं
(च)		अध्यक्ष	जनपद पंचायत-सिरोंज	सदस्य
(छ)	1.	सरपंच	ग्राम पंचायत चौड़ाखेड़ी (1)ग्राम वीरपुर, (2) मलसीपुर	सदस्य
	2.	सरपंच	ग्राम पंचायत, परसोरा ग्राम अहीरखेड़ी	सदस्य
(ज)	1.	प्रतिनिधि	इन्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया	सदस्य
	2.	प्रतिनिधि	कॉउसिंल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली	सदस्य
	3.	प्रतिनिधि	इस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इण्डिया	सदस्य
	4.	प्रतिनिधि	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सिरोंज	सदस्य
	5.	प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री-लोक निर्माण विभाग, विदिशा	सदस्य
	6.	प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विदिशा	सदस्य
	7.	प्रतिनिधि	अनुविभागीय अधिकारी वन सिरोंज, जिला विदिशा	सदस्य
(झ)		समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला-कार्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश.	संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुदगल, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 27 जुलाई 2015

क्र. 565-2015-प्र. क्र. 13-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अत: भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मंदसौर

(ख) तहसील—सीतामउ

(ग) ग्राम—मेरियाखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—ग्राम मेरियाखेड़ी, रकबा 0.44 हे. सिंचित तथा रकबा 0.18 हे. असिंचित

अनुसूची (2)

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	जुझार पिता प्यारा गुर्जर	958	0.16	0.16	-	0.16 हे.
2	धन्ना पिता रायसिंह गुर्जर	959	0.09	0.09	-	0.09 हे.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	राबिया बी पति अय्यूब खां पिंजारा नि. मानपुरा	960	0.10	0.10	–	0.10 हे.
4	दुर्गाबाई पति हिरालाल ब्राहम्ण निवासी मानपुरा	962	0.09	0.09	–	0.09 हे.
5	शंकरलाल पिता स्वरूप चमार निवासी मेरियाखेडी	964	0.15	–	0.15	0.15 हे.
		965	0.03	–	0.03	0.03 हे.
		कुल योग . .	0.62	0.44	0.18	0.62 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भगोर से बरखेड़ा कला मार्ग क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड, सीतामउ के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 564-2015-प्र. क्र. 3-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मंदसौर

(ख) तहसील—सीतामउ

(ग) ग्राम—करनाली जागीर/गोपालपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—ग्राम करनाली जागीर, रक़बा 2.320 हे. सिंचित, ग्राम गोपालपुरा रकबा 0.420 हे. सिंचित

अनुसूची (2)

ग्राम—करनाली जागीर

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नारायण पिता कारू लाल नायक, निवासी करनाली	194 मि. 2	0.140	0.140	–	0.140 हे.
2	गुलाबबाई पति भंवरलाल नायक, निवासी करनाली	452 मि. 1	1.000	1.000	–	1.000 हे
3	गोपाल, परमेश्वर पिता जुझार लाल चमार, निवासी तितरोद.	452 मिन 2	0.310	0.310	–	0.310 हे.
4	भंवरलाल पिता उदा नायक, निवासी करनाली	415/2	0.250	0.250	–	0.250 हे.
		416/2	0.410	0.410	–	0.410 हे.
	योग . .	2	0.660	0.600	–	0.600 हे.
5	बालुराम पिता परथा जी गायरी, निवासी करनाली	237	0.930	0.050	–	0.050 हे.
6	भंवरलाल पिता चुन्नीलाल गायरी, निवासी करनाली	238	0.460	0.030	–	0.030 हे.
7	मांगीलाल पिता चुन्नीलाल गायरी, निवासी करनाली	239	0.460	0.030	–	0.030 हे.
8	हरिराम पिता लक्ष्मण खटिक, निवासी महुवा	170	0.790	0.100	–	0.100 हे.
	कुल योग . .			2.320	–	2.320 हे.

ग्राम—गोपालपुरा

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रावा पिता नाथु नायक निवासी गोपालपुरा	465	0.120	0.070	–	0.070 हे.
		467	1.120	0.270	–	0.270 हे.
	योग . .	2	1.240	0.340	–	0.340 हे.
2	भंवरलाल पिता किशनलाल नायक निवासी गोपालपुरा.	464/1	0.100	0.030	–	0.030 हे.
3	बाबुलाल गोपाल पिता पन्ना नायक निवासी गोपालपुरा.	464/2	0.100	0.020	–	0.020 हे.
4	बालाराम गोपाल पिता पन्ना नायक, निवासी गोपालपुरा.	464/3	0.250	0.030	–	0.030 हे.
	कुल योग . .			0.420	–	0.420 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोपालपुरा तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड, सीतामउ के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 563-2015-प्र. क्र. 16-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अत: भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मंदसौर

(ख) तहसील—सीतामउ

(ग) ग्राम—कराडिया/विशनिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—ग्राम कराडिया, रकबा 1.200 हे. सिंचित एवं 0.400 हे. असिंचित
ग्राम विशनिया, रकबा 0.200 हे. सिंचित.

अनुसूची (2)

ग्राम—कराडिया

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मनोहरसिंह पिता भगवानसिंह राजपुत	177	0.200	0.200	–	0.200 हे.
2	मांगुसिंह पिता पुरसिंह राजपुत	84	2.060	–	0.400	0.400 हे.
3	कारूलाल पिता शंकर लाल व मोहनबाई पति कारूलाल जाति चमार.	89/5	0.600	0.600	–	0.600 हे.
4	सत्यनारायण पिता शंकर लाल, सम्पतबाई पति सत्यनारायण चमार.	89/4	0.600	0.300	–	0.300 हे.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	भंवरबाई बैवा तेनसिंह व दशरथसिंह, गोपाल सिंह, नारायणसिंह पिता तेनसिंह	228	0.210	0.100	–	0.100 हे.
	कुल योग . .			1.200	0.400	1.600 हे.
ग्राम—विशनिया						
1	रूपकुंवर पति भारत सिंह, धिरजकुंवर पति यशवंतसिंह, गोपाल कुंवर पति भगवान सिंह, अंगतकुंवर पति प्रताप सिंह राजपुत निवासी विशनिया.	958	0.520	0.200	–	0.200 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कराडिया तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड, सीतामउ के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 13 अगस्त 2015

प्र. क्र. 1 अ-82-पार्ट-2015-950.—मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में **आपसी सहमति से क्रय निती** के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4)अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास
(ख) तहसील—कन्नौद
(ग) ग्राम—बागनखेड़ा
(घ) कुल प्रस्ताव—6

क्र.	पूरा नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	हेमराज पिता जगन्नाथ जाति जाट, नि. ग्राम बागनखेड़ा	328	0.030
2	रमेश, हेमराज, कैलाश पिता जगन्नाथ जाति जाट, नि. ग्राम बागनखेड़ा	329	0.250
3	बलवंत सिंह पिता मंगू सिंह जाति राजपूत, नि. ग्राम बागनखेड़ा	358/1	0.124
4	यशवंत सिंह पिता ईंदरसिंह जाति राजपूत, नि. ग्राम बागनखेड़ा	400/1	0.160
5	ताराबाई विधवा शंकरसिंह जाति राजपूत, नि. ग्राम बागनखेड़ा	393	0.058
6	कमलसिंह पिता मूलसिंह जाति राजपूत, नि. ग्राम बागनखेड़ा	368	0.034

कुल सर्वे नम्बर—6
कुल प्रस्ताव—6

(2) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

(3) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

देवास, दिनांक 20 अगस्त 2015

प्र. क्र. 1 अ-82-पार्ट-2015-1050.—मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में **आपसी सहमति से क्रय निती** के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4)अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास
(ख) तहसील—सतवास
(ग) ग्राम—हरडी
(घ) कुल प्रस्ताव—12

क्र.	पूरा नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शिवनारायण पिता बाला जाति देशवाली, नि. हरडी	30/1	0.024
2	संतोष पिता शिवनारायण जाति देशवाली, नि. हरडी	30/2	0.206
3	संतोष पिता रतनलाल जाति देशवाली, नि. हरडी	31	0.096
4	सुगनाबाई पति शिवराम जाति जाट, नि. पामाखेडी तहसील हरसूद	32/2	0.058
5	नबूबाई पति रतनलाल जाति देशवाली	27/2	0.144
6	श्री किशन पिता बोंदर जाति बलाई, नि. हरडी	68/1	0.086
7	श्री किशन पिता बोंदर जाति बलाई, नि. हरडी	68/4	0.077
8	नर्मदा प्रसाद पिता रामेश्वर जाति बलाई, नि. हरडी	68/6	0.134
9	बसंतीबाई पति गबूलाल, विष्णुप्रसाद पिता गबूलाल जाति माली, नि. हरडी	67/1/1	0.154
10	सुगनाबाई पति नर्मदाप्रसाद जाति देशवाली, नि. हरडी	47/3	0.125
11	गोविन्द पिता हजारी जाति देशवाली, नि. हरडी	63/1	0.288
12	गोविन्द पिता जयनारायण जाति देशवाली, नि. हरडी	15/6	0.052

कुल सर्वे नम्बर—12
कुल प्रस्ताव—12

(2) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

(3) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्र. 8686-व.लि.-2015.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के अधिसूचना क्रमांक-एफ-3-6-2015-1-4 दिनांक 20 जुलाई 2015 के तहत् मैं, **कलेक्टर, जिला धार** वर्ष 2015 के त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2015 (पूर्वार्द्ध) हेतु आयोग द्वारा जारी परिशिष्ट-एक एवं संशोधित परिशिष्ट-दो के अनुसार मतदान दिनांक **22 जुलाई 2015 बुधवार** को जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करती हूँ.

उपरोक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशियबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करती हूँ.

जयश्री कियावत, कलेक्टर.

आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी
मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2015

क्र. 5680-885-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 17 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र-प्रथम प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग बी, सी एवं द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्चस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	श्रीमती हर्षिका सिंह	सहायक कलेक्टर
2	डॉ. गिरीश कुमार मिश्र	सहायक कलेक्टर
3	श्री प्रियंक मिश्रा	सहायक कलेक्टर
4	श्री ऋषि गर्ग	सहायक कलेक्टर
	इंदौर संभाग	
5	श्री दिनेश चन्द्र भेवंदिया	राजस्व निरीक्षक
	ग्वालियर संभाग	
6	कु. ज्योति राजपूत	नायब तहसीलदार
7	श्री रविशंकर शर्मा	राजस्व निरीक्षक
8	श्रीमती हेमा राजपूत	राजस्व निरीक्षक
	शहडोल संभाग	
9	श्री ज्ञान दास पनिका	राजस्व निरीक्षक
	रीवा संभाग	
10	श्री सुखदेव सिंह भवेदी	राजस्व निरीक्षक
	निम्नस्तर	
	भोपाल संभाग	
1	श्री लक्ष्मीप्रसाद अहिरवार	नायब तहसीलदार
2	सुश्री कल्पना कुशवाह	नायब तहसीलदार
3	श्री संजय कुमार गर्ग	नायब तहसीलदार
4	श्री सच्चिता नन्द त्रिपाठी	नायब तहसीलदार
5	श्री मड़ियासिंह चौहान	सहायक अधीक्षक
6	श्री सत्येन्द्र चतुर्वेदी	राजस्व निरीक्षक
7	श्री कृष्णपाल सिंह बड़करे	राजस्व निरीक्षक
8	श्री किशोर सिंह सिकरवार	राजस्व निरीक्षक
9	श्री ब्रजलाल वाड़ीवा	राजस्व निरीक्षक
10	श्री राजेन्द्र प्रसाद त्यागी	राजस्व निरीक्षक
11	श्री सत्यनारायण मालवीय	राजस्व निरीक्षक
	होशंगाबाद संभाग	
12	श्री कैलाश मालवीय	नायब तहसीलदार
13	श्री जितेन्द्र दुबे	पटवारी
14	श्री उमेश भार्गव	राजस्व निरीक्षक
15	श्री विष्णुकांत कौशल	राजस्व निरीक्षक
16	श्री शिब्बूसिंह कसोरया	राजस्व निरीक्षक
17	श्री किशोरी लाल शेलू	राजस्व निरीक्षक
	उज्जैन संभाग	
18	श्री रामलाल मुनिया	नायब तहसीलदार
19	श्री सुनील अग्रवाल	राजस्व निरीक्षक
20	श्री लाल चंद शैरपुरिया	राजस्व निरीक्षक
21	श्री मोहन लाल गोयल	राजस्व निरीक्षक
22	श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
23	श्री दरियाव सिंह भुर्रा	राजस्व निरीक्षक
	इंदौर संभाग	
24	कु. अनामिका सिंह	नायब तहसीलदार
25	श्री हर्ष विक्रम सिंह	नायब तहसीलदार
26	श्री शुभम सोनी	नायब तहसीलदार
27	श्री बृजेश श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
28	श्री रामसिंह ओड़ाली	राजस्व निरीक्षक
29	श्री महेन्द्र कुमार भार्गव	राजस्व निरीक्षक
30	श्री दिनेश चन्द्र भेवंदिया	राजस्व निरीक्षक
31	श्री दीनबन्धु प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
32	श्री ओमप्रकाश गोयल	राजस्व निरीक्षक
33	श्री उदयवीर सिंह भावर	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
	जबलपुर संभाग	
34	श्री दिलीप सिंह	नायब तहसीलदार
35	श्री मंगल सिंह मार्को	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
36	श्री राकेश कुमार खम्परिया	राजस्व निरीक्षक
37	श्री सुबोध कुमार श्रीवास	राजस्व निरीक्षक
38	श्री प्रवीण दुबे	राजस्व निरीक्षक
39	श्री लेखराम मेहरा	राजस्व निरीक्षक
40	श्री गिरीश धुलेकर	राजस्व निरीक्षक
41	श्री सुनुवा लाल भलावी	राजस्व निरीक्षक
42	श्री गणेश प्रसाद सिगौर	राजस्व निरीक्षक
43	श्री बलजीत रावत	राजस्व निरीक्षक
44	श्री रिपुद्मन सिंह	राजस्व निरीक्षक
45	श्री के. सी. अग्रवाल	राजस्व निरीक्षक
46	श्री संतोष कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
47	श्री रविशंकर मिश्रा	राजस्व निरीक्षक
48	श्री गुरुदास प्रसाद मेहरा	राजस्व निरीक्षक
49	श्री शंकर लाल मरावी	राजस्व निरीक्षक
50	श्री मणिराज सिंह	राजस्व निरीक्षक
51	श्री राम कुमार यादव	राजस्व निरीक्षक
	सागर संभाग	
52	श्री मोहित कुमार जैन	नायब तहसीलदार
53	श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
54	श्री एम. एल. जैन	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
55	श्री राजेश ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
56	श्री श्रीपत अहिरवार	राजस्व निरीक्षक
57	श्री धरम सिंह गोंड	राजस्व निरीक्षक
58	श्री प्रमोद कुमार प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
59	श्री ओंकार सिंह ठाकुर (गौड़)	राजस्व निरीक्षक
60	श्री राजेश कुमार साहू	राजस्व निरीक्षक
61	श्री योगेन्द्र कुमार चौधरी	राजस्व निरीक्षक
	ग्वालियर संभाग	
62	सुश्री वंदना बघेल	नायब तहसीलदार
63	सुश्री नीलम परसेडिया	नायब तहसीलदार
64	श्री विनोद सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक
65	श्री चन्द्रपाल सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक
66	श्री योगेन्द्र त्रिपाठी	राजस्व निरीक्षक
67	श्री संजीव कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक
68	श्री शिवदयाल शर्मा	राजस्व निरीक्षक
69	श्री राकेश कुमार शर्मा	राजस्व निरीक्षक
	शहडोल संभाग	
70	श्री राम किशोर पद्माकर	राजस्व निरीक्षक
71	श्री राम नरेश यादव	राजस्व निरीक्षक
72	श्री शिवकांत दीक्षित	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
	रीवा संभाग	
73	श्री मिथिला प्रसाद पटेल	राजस्व निरीक्षक
74	श्री शिवमूर्ति सरल	राजस्व निरीक्षक
75	श्री राम कुमार पनिका	राजस्व निरीक्षक
76	श्री राजेश कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक
77	श्री राम चन्द्र पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
78	श्री मनोज कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक
79	श्री विनोद कुमार पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2015

क्र.-रास-यूए-5-2015.—नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 42(5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम, 2010 की धारा 34.3 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने हेतु दिनांक 21 अगस्त 2013 को अनुमोदन प्रदान किया गया है:—

The Teachers as defined under statute 31 shall be superannuated on attaining the age of 65 (Sixty five) years w. e. f. 26th Dec. 2014.

कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.

कार्यालय, कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान, विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

राजभवन, भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2015

क्र. एफ-1-2-15-रा.स.-यू.ए.-1-1009.—नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत गठित कमेटी द्वारा की गई अनुशंसाएं दिनांक 03 जुलाई 2015 पर विचारोपरांत उनसे असहमत होते हुए मैं उन्हें अस्वीकार करता हूँ.

इस प्रयोजनार्थ पुनः सर्च कमेटी के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जावे

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, दमोह

दमोह, दिनांक 16 जुलाई 2015

क्र. एफ-85-10(मण्डी)-स्था. निर्वा.-2015-3021.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, जगदीश चंद्र जटिया, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, दमोह मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम-निर्देशन) नियम, 2010 के अन्तर्गत दमोह जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद् प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :—

क्र. (1)	मण्डी का नाम (2)	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3)	मण्डी अधिनियम की धारा (4)
1.	173-जबेरा	56-जबेरा विधान सभा क्षेत्र निर्वाचित विधान सभा सदस्य द्वारा नामनिर्दिष्ट:—श्री उद्देत प्रसाद पिता हेमराज अहिरवाल निवासी ग्राम पतलोनी तहसील तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह.	मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1).
2	171-दमोह	जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट:—श्री रज्जन प्रसाद खंगार ग्राम व पोस्ट वालाकोट, जिला दमोह.	मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1).
3	172-पथरिया	जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट:—श्रीमति चन्द्रवति ग्राम मेहलवारा पोस्ट सूखा, जिला दमोह.	मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1).
4	173-जबेरा	जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट:—श्रीमति द्रोपती पति राजकुमार ग्राम पतलोनी पोस्ट तेजगढ़, जिला दमोह.	मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1).
5	174-हटा	जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट:—श्री प्रियंका रंधीर दहायत ग्राम व पोस्ट गैसाबाद, जिला दमोह.	मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1).
6	171-दमोह	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट:— श्री सुखनंदन पटेल.	मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1).
7	172-पथरिया	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट:— श्री बदाहुर सिंह, पथरिया.	मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1).
8	173-जबेरा	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट:— श्री अंजनी सिंह, जबेरा.	मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1).
9	174-हटा	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट:— श्री राजेश पौराणी, हटा.	मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1).

जगदीश चंद्र जटिया, कलेक्टर

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 23 जुलाई 2014

क्र. 631-मण्डी निर्वा.-2014-एफपीडी.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर जिला देवास मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम-निर्देशन) नियम, 2010 के अन्तर्गत देवास जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद् प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :—

क्र.	मण्डी का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	देवास	श्री बद्रीलाल जायसवाल ग्राम बोरखेडीफत्तु तहसील व जिला देवास	धारा 11(1)
2	देवास	श्री विष्णुप्रसाद पिता लक्ष्मीनारायण ग्राम सुनवानी महाकाल तहसील व जिला देवास.	धारा 11(1)
3	खातेगांव	श्री कैलाश टाडा पिता राम अवतार टाडा निवासी जियागांव तहसील खातेगांव जिला देवास.	धारा 11(1)
4	सोनकच्छ	श्री रविन्द्र व्यास अधिवक्ता निवासी सोनकच्छ जिला देवास.	धारा 11(1)
5	लोहारदा	श्री बंशीला पिता श्री गंगाबिशन भूतडा निवासी नाम लोहारदा तहसील कन्नौद जिला देवास.	धारा 11(1)
6	कन्नौद	श्री बलराम कुडिया पिता श्री हरचंद कुडिया निवासी चपलासा तहसील कन्नौद जिला देवास.	धारा 11(1)

एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर.

देवास, दिनांक 27 मार्च 2015

क्र. 176-मण्डी-2015.—मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अंतर्गत मण्डी समिति, देवास के लिये माननीय श्री मनोहर ऊँटवाल, सांसद सदस्य (लोकसभा) 21-देवास-शाजापुर की ओर से श्री बद्रीलाल जायसवाल निवासी बोरखेड़ी फत्तू तहसील एवं जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जा जाता है.

देवास, दिनांक 23 अप्रैल 2015

क्र. 248-सवबान-2015.—मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अंतर्गत मण्डी समिति, सोनकच्छ के लिये माननीय श्री मनोहर ऊँटवाल, सांसद सदस्य (लोकसभा) 21-देवास-शाजापुर की ओर से श्री भगवानसिंह पिता जयरामसिंह पटेल निवासी ग्राम फतनपुर तहसील सोनकच्छ जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जा जाता है.

देवास, दिनांक 10 जुलाई 2015

संशोधित आदेश

क्र. 626-सवबान-2015.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 571-सवबन-2015 में आंशिक संशोधन करते हुए, मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अंतर्गत मण्डी समिति कन्नौद के लिये माननीय श्री आशीष गोविद शर्मा, विधायक विधान सभा क्षेत्र-173 खातेगांव की ओर से श्री राजाराम लकतेडिया पिता श्री भोलू लकतेडिया निवासी ग्राम डोकाकुई तहसील कन्नौद जिला देवास को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है.

आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462 011

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2015

संशोधन

क्र. एफ-65-01-2015-तीन-न.पा.-689.—आयोग द्वारा नगरपालिक निगम मुरैना, जिला मुरैना, नगरपालिका परिषद् सारंगपुर, जिला राजगढ़, नगर परिषद् कोटर, जिला सतना, नगर परिषद् सुवासरा, जिला मंदसौर एवं नगर परिषद् चाकघाट, जिला रीवा के महापौर/अध्यक्ष एवं पार्षद पद के आम निर्वाचन-2015 के निर्वाचन परिणाम का त्रुटिपूर्ण प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 347, दिनांक 25 अगस्त 2015 में प्रकाशित नगरपालिक निगम मुरैना, जिला मुरैना के माह अगस्त, 2015 में कराये गये, "आम निर्वाचन", के स्थान पर "आप निर्वाचन" प्रकाशित हो गया है, जिसके स्थान पर संशोधित शब्द, आम निर्वाचन, पढ़ा जावे.

हस्ता./-

(दीपक सक्सेना)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जून 2015

का. आ. 1694(अ).—नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उप नियम (4) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और उसे अद्यतन करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिये देशभर में घर-घर जाकर गणना करने संबंधी फील्ड कार्य 1 जुलाई, 2015 से प्रारम्भ किया जाएगा.

[फा. सं. 9/35/2015-सी.आरडी (एनपीआर)]

च. चन्द्रमौलि, भारत के महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण.

ORDER

New Delhi, the 25th June, 2015

S. O. 1694(E).—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 3 of the Citizenship (Registratioin of Citizens and issue of National Identity Cards Rules, 2003, the Central Government hereby decides to prepare and update Population Register and the field work for house to house enumeration throughout the Country for collection of information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of Local Registrar shall be undertaken with effect from the 1st day of July, 2015 onwards.

[F-NO.9/35/2015-CRD(NPR)]

C. CHANDRAMOULI, Registrar General Citizen Registration, India.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013)

पन्ना, दिनांक 20 अगस्त 2015

प्र. क्र. 160-अ-82-वर्ष 2014-15.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ-16-15 (1)-2004-सात-शा.-2-A,भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 03 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित किया गया है, के द्वारा जिले के कलेक्टरों को समुचित सरकार माना गया है तथा भू-अर्जन प्रकरणों 10,000 हे. (दस हजार हे.) से कम के प्रकरणों में जो सार्वजनिक प्रयोजन से संबंधित है, में निर्णय हेतु अधिकृत किया गया है.

भारत सरकार द्वारा जाारी अध्यादेश जो कि भारत का राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 को जारी किया गया है, अध्यादेश में नया अध्याय IIIA लागू किया गया है. जिसके अंतर्गत धारा 10(A) के अनुसार समुचित सरकार (जो कि अधिनियम की धारा 3 (C) के अनुसार राज्य शासन है) को यह अधिकार दिया गया है कि वह उल्लेखित परियोजनाओं में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानों से विमुक्त कर सकती है.

पन्ना जिले में पन्ना-अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना अन्तर्गत अमानगंज बायपास रोड निर्माण ग्राम सिरी तहसील अमानगंज एवं अनुभाग गुनौर, जिला पन्ना के अमानगंज में घनी आबादी बसाहट के अंदर से बने सड़क मार्ग को आम जीवन सुरक्षा की दृष्टि, यातायात व्यवस्था हेतु अमानगंज बायपास रोड निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल का शीघ्र अर्जन किया जाना आवश्यक हो गया है तथा इस मुख्य मार्ग के अन्य स्थानों का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है. अतः अनुसूची में दर्शाये जा रहे प्रस्तावित प्रकरणों में भू-अर्जन कार्यवाही हेतु भारत सरकार द्वारा भू-अर्जन संबंधी जारी अध्यादेश में निहित व्यवस्था तथा राज्य शासन के अधिकृत क्षमता अनुसार प्रकरणों में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पन्ना	अमानगंज	सिरी	निजी भूमि रकबा 0.750 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.750 हे.	पन्ना-अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना अन्तर्गत अमानगंज वायपास रोड निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान)संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पो. लि., सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल खरे, कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 24 अगस्त 2015

प्र. क्र. 01-अ-82-2014-15-देहरी-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः नवीन भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अनुसार, इसके

द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			सर्वे नम्बर	रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
गुना	राघौगढ़	देहरी	1 में से	1.200 हेक्टेयर (असिंचित) एवं भूमि में स्थित बिना फलदार मिश्रित वृक्ष संख्या-30.	उप मुख्य अभियंता (निर्माण II) पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल.	गुना-रूठयाई बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राघौगढ़ के कार्यालय/न्यायालय एवं उप मुख्य अभियंता (निर्माण II), पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राघौगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 अगस्त 2015

प. क्र. 1816-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	रूहिया	18.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1818-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	खरहिया	1.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1820-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	बछरा	15.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1822-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	कुसमहट	12.400	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1824-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	बेला	18.100	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के बेला वितरक के नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1826-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माईनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस

कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	नौसा	0.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1828-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	बढ़ौरा मु. 278	1.532	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1830-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	झूसी वृत्त	2.669	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1832-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	जमुनिया 158	1.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1834-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	वेलहा-449	1.508	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1836-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11

की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान.	झांझर 215	7.100	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 1838-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के अमिलकी वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रायपुर कर्चुलियान	लेडुआ 573	7.510	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बहुती नहर के अमिलकी वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 18 अगस्त 2015

क्र. 1840-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	मोहनपुर पवाई	2.000	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1842-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	बम्हना कोठार	5.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1844-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की

उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	उपरवार 37	1.000	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1846-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	बरहुला सोंगाटोला	5.000	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1848-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की

उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	अतरैला पैपखार	1.300	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1850-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	जोन्हा कोठार	5.650	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1852-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की

उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	पुरानिक पुरवा कोठार	1.400	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1854-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	चौबेनपुरवा मुड़वार	1.300	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1856-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची

के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	गंज कोठार	1.600	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1858-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	कोटवा पैपखार	1.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1860-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की

संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	कुठिला	1.600	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर एवं माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 25 अगस्त 2015

क्र. 1862-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पटेहरा	2.061	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की कटकी सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1864-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की

उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	डिहवा	1.658	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की कटकी सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1866-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	दुबगवां	1.964	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की कटकी सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1868-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मनवाही	0.835	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की कटकी सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1870-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मुड़ियारी	2.350	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की मुड़ियारी माइनर नं. 4 में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1872-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3)

के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	गभुआनी 125	1.175	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की कटकी सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1874-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	बगढ़ा 337	1.232	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की कटकी सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1876-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	चौरा-163	0.675	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की मुड़ियारी माइनर नं. 3 में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1878-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	सथिनी	1.284	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की मुड़ियारी माइनर नं. 3 में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1880-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मनवाही 453	1.722	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना की कटकी सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1882-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि माइनर नहर का निर्माण कार्य किया जा चुका है तथा सब-माइनर नहर का निर्माण कार्य कराना है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	मनकहरी	1.824	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मनकहरी माइनर की मनकहरी सब माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1884-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची

के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि माइनर नहर का निर्माण कार्य किया जा चुका है तथा सब-माइनर नहर का निर्माण कार्य कराना है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	कपुरी	1.982	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत लौआ माइनर नं. 1 की लौआ सब माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1886-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	लौआ	0.306	कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत लौआ माइनर नं. 1 की लौआ सब माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 14 मई 2015

नस्ती क्र. 186-2015-एलए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-13-14-**शुद्धि-पत्र.**—इंदिरा सागर परियोजना की अतिरिक्त नहर निर्माण हेतु ग्राम अटूटखूर्द बेनीपुरा, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04-अ-82-12-13 में भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उद्घोषणा का प्रकाशन जी. क्र. माध्यम-24326-2015 में दिनांक 6 मार्च 2015 को राज एक्सप्रेस एवं स्वदेश में प्रकाशित हुआ है तथा म. प्र. राजपत्र में 6 मार्च 2015 को प्रकाशित हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही प्रविष्टि	
खसरा नं.	रकबा (हे. में.)	खसरा	रकबा (हे. में.)
156	0.05	156	विलोपित
157/3	0.13	157/3	0.26
155	0.27	155	विलोपित
7	0.27	7	0.53
8	0.16	8	विलोपित

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 3.62 के स्थान पर 3.53 हेक्ट. पढ़ा जावे.

नस्ती क्र. 62-2015-एलए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-13-14-**शुद्धि-पत्र.**—इंदिरा सागर परियोजना की अतिरिक्त नहर निर्माण हेतु ग्राम धावड़िया, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18-अ-82-12-13 में भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उद्घोषणा का प्रकाशन जी. क्र. माध्यम-24317-2015 में दिनांक 4 मार्च 2015 को दबंग दुनिया एवं 5 मार्च 2015 को स्वदेश में प्रकाशित हुआ है तथा म. प्र. राजपत्र में 6 मार्च 2015 को प्रकाशित हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही प्रविष्टि	
खसरा नं.	रकबा (हे. में.)	खसरा नं.	रकबा (हे. में.)
3/2	0.447	3/2	0.147
		3/1	0.300

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 3.160 हेक्ट. यथावत रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 17 अगस्त 2015

क्र. क-भू-अर्जन-2015-4739-रा. प्र. क्र. 10-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि का अर्जन

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—पथरिया
(ग) ग्राम—जेरठ, पिपरियाचंद

भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन		विवरण
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में.)	
(1)	(2)	(3)
427	0.01	ग्राम जेरठ में बेबस नदी पर जलग्नीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
158/3	0.0184	
कुल योग .	.0.0284	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पथरिया तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग तथा सेतु निर्माण संभाग, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 अगस्त 2015

पत्र क्र. 1810-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—विछिया कला
(घ) क्षेत्रफल—0.876 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
300/1, 300/2, 300/3	0.066
301/1, 301/2, 301/3	0.159
311	0.274
312	0.228
313	0.017
314	0.053
315	0.058
318/1, 318/2, 318/3	0.004
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.859
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
299	0.017
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.017
अ+ब का योग .	.0.876

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1812-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—बरा
(घ) क्षेत्रफल—1.982 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
74/1/क, 74/1/ख, 74/2	0.280
73	0.362
67	0.003
68	0.076
72	0.026
69	0.238
70	0.144
53	0.117
62/1, 62/2	0.005
61/1, 61/2	0.046
60	0.160
59	0.084
58	0.014
19	0.004
44	0.048
45	0.093
43/1, 43/2	0.016
42/1, 42/2	0.117
46/1, 46/2	0.029
अ. निजीपट्टे की भूमि का योग . .	1.862
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
49	0.120
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.120
अ+ब का योग .	.1.982

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1814-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—विछिया खुर्द
(घ) क्षेत्रफल—2.859 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
420	0.070
419	0.110
323/1, 323/2	0.314
322	0.010
321	0.002
326	0.226
327/1, 327/2, 327/3, 327/4	0.143
317/1, 317/2 317/3, 317/4	0.100
316/1, 316/2 316/3, 316/4	0.016
315/1	0.185
315/2	0.148
312	0.173
311	0.126
310	0.027
309	0.210
304	0.430
योग . .	2.290
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
314	0.089
301	0.480
योग . .	0.569
अ+ब का योग . .	2.859

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 27 अगस्त 2015

प्र. क्र. 02-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—रीठी
(ग) ग्राम—धनिया, नं.बं. 114, प.ह.नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.71 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
190	0.10
191	0.11
209	0.06
199/1	0.26
203	0.04
204	0.05
202	0.04

(1)	(2)
199/2	0.04
205/2	0.05
208	0.25
210	0.07
286	0.10
287	0.08
198	0.10
131	0.12
133/1	0.06
133/2	0.18
योग . .	1.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—देवलिया जलाशय की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटनी में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22 जून 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—कटनी
(ग) ग्राम—देवरी, हटाई नं.बं. . . . . प.ह.नं. 65/54
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.20 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
379/1	0.12
379/2	0.08
योग . .	0.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—देवरी हठाई जलाशय की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटनी में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22 जून 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 04-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—कटनी
(ग) ग्राम—खिरहनी, नं.बं. 407 प.ह.नं. 13/41
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.15 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
21/1 21/2	0.15
योग . .	0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—खिरहनी उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटनी में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22 जून 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 05-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—रीठी
(ग) ग्राम—विरुहली, नं.बं. . . . ., प.ह.नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.11 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
964	0.03
1047	0.15
1046	0.10
948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 948/6, 948/7	1.92
949	2.17
962	1.93
963	0.50
961	0.72
967	0.88
960	1.55
958/1, 958/2	1.45
957	0.31
959	0.27
955/1, 955/2, 955/3	0.13
योग . .	12.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिरुहली जलाशय के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटनी में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22 जून 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 06-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—रीठी
(ग) ग्राम—विरुहली, नं.बं. . . . ., प.ह.नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.930 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
957	0.024
1000	0.096
1002	0.068
1003	0.084
1004	0.048
1010	0.020
1009	0.028
1008	0.024
986	0.020
985	0.016
983/1	0.052
983/2	0.104
648/1	0.140
645	0.068
644	0.056
643	0.082
योग . .	0.930

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिरुहली जलाशय की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटनी में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22 जून 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 07-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—बड़वारा
(ग) ग्राम—अमगवां, नं.बं. . . . . प.ह.नं. 05
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.24 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
198	0.16
199	0.07
197/1	0.01
योग . .	0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सरसवाही-सैलारपुर-अमगवां पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटनी में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22 जून 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 01-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—बहोरीबंद
(ग) ग्राम—पटना,नं.बं. 405, प.ह.नं. 17
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.95 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
370/4	0.03
370/1	0.03
376	0.11
390/3	0.03
390/1	0.04
393	0.10
394	0.03
395	0.03
345	0.15
344	0.13
338/1	0.20
336/4	0.03
336/7	0.02
336/2	0.02
योग . .	0.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंहुड़ी जलाशय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बहोरीबंद में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22 जून 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 02-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी

(ख) तहसील—बहोरीबंद

(ग) ग्राम—मोहतरा, नं.बं. 651, प.ह.नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.70 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
562	0.04
580/1	0.01
581/2	0.01
582	0.01
584	0.02
583/1	0.02
583/2	0.02
583/3	0.02
583/4	0.02
583/5	0.02
583/7	0.02
610/1	0.02
610/2	0.02
610/3	0.02
606	0.80
609	0.08
514/4	0.05
514/5	0.04
512	0.03
510	0.01
229	0.05
299	0.03
298	0.02
296	0.03
316	0.01
317	0.02
414	0.02
412	0.02
369	0.01
413	0.02
370	0.01
372	0.01
362	0.02
361	0.01
358	0.05
352	0.03
335	0.03
333	0.03
योग . .	1.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंहुड़ी जलाशय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बहोरीबंद में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22 जून 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी

(ख) तहसील—बहोरीबंद

(ग) ग्राम—कछारगांव, नं.बं. 73, प.ह.नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.80 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
448	0.03
425	0.17
418	0.06
417/2	0.03
417/1	0.03
391	0.05
1249	0.03
560	0.20
572	0.06

(1)	(2)
574	0.04
578	0.03
537	0.04
532	0.05
533/2	0.05
527	0.03
522/1	0.13
518	0.02
504	0.02
505	0.03
507/1	0.01
225/1	0.03
225/2	0.03
238	0.02
239/2	0.10
245	0.04
247	0.05
422	0.01
421/1	0.02
421/2	0.02
420/2	0.01
461	0.01
460	0.01
419	0.02
420/1	0.01
414	0.03
400	0.01
392	0.01
384	0.01
383/2	0.01
382	0.01
368	0.02
362	0.02
360	0.01
42	0.01
318	0.01
102/1	0.01
102/2	0.01
145/2	0.01
144/1	0.01
140	0.01
114	0.01
111	0.02
158	0.02
130	0.01
75	0.01
77	0.02
72	0.01
79	0.01
योग . .	1.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंहुड़ी जलाशय मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बहोरीबंद में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22 जून 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

प्र. क्र. 04-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—बहोरीबंद
(ग) ग्राम—कछारगांव, नं.बं. 73, प.ह.नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल—23.53 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
482/1	0.05
482/2	0.05
481	0.90
478	0.12
477	0.80
472	1.20
471	1.45
470	1.50

(1)	(2)
467	1.20
466/1	1.44
466/2	1.45
465	1.17
464	0.32
446/1	0.09
446/2	0.08
446/3	0.09
446/4	0.08
432/2	0.15
432/1	0.15
432/4	0.16
431	0.93
434	1.24
433	1.54
435	0.06
443	0.75
444	1.40
442	0.72
441	0.20
436	0.25
437	0.33
439	2.06
541	1.00
542	0.60
योग . .	23.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंहुड़ी जलाशय के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बहोरीबंद में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22 जून 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

कटनी, दिनांक 31 अगस्त 2015

प्र. क्र. 05-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—बहोरीबंद
(ग) ग्राम—जुझारी, नं.बं. 256, प.ह.नं. 33
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.67 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
699	0.10
134	0.15
133	0.08
132/1	0.10
123/1	0.03
132/2	0.10
129	0.25
126/1	0.10
126/2	0.10
127	0.04
118	0.06
131	0.04
119	0.10
130	0.05
128	0.04
165	0.10
166	0.10
164	0.05
163	0.05
123/2	0.03
योग . .	1.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जुझारी कलहैया जलाशय नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बहोरीबंद में किया जा सकता है.

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22 जून 2015 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास सिंह नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.